संख्या- 29 /2018/ 1098/अड़तीस-5-2018-2 बजट/2016

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2018

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि से अवशेष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 555 /ई-2/ 2017, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 एवं अपने पत्र संख्या-649/ई-2/2017 दिनांक 06-11-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अनुदान संख्या- 81 अन्तर्गत कुल रू0 402.240 लाख की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। उक्त प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अब तक केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में पूर्व में निर्गत शासनादेशों के क्रम में अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अवशेष राज्यांश रू 301.13 लाख (रूपये तीन करोड. एक लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश के शार्टफाल की धनराशि	प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अब तक निर्गत कुल केन्द्रांश	प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश	अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष अब तक निर्गत कुल राज्यांश	अवशेष राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Coverage & QPV	210.150	210.150	210.150	210.150	12.376	197.774
	O&M	42.030	42.030	42.030	42.030	6.374	35.656
	Sustainability	28.020	28.020	28.020	18.680	0.000	18.680
	EMWQ	35.330	35.330	35.330	35.330	0.000	35.330
	WQ Mission	13.690	13.690	13.690	13.690	0.000	13.690
	EAP Share	73.020	73.020	73.020	0.000	0.000	0.000
	Total	402.24	402.24	402.24	319.88	18.750	301.130

(रूपये तीन करोड. एक लाख तेरह हजार मात्र)

(I) स्वीकृत की जा रही राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेशों / शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) प्रश्नगत धनराशि के सम्बन्ध में योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के निर्धारित घटक हेतु निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों/ मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। धनराशि आहरित कर जिस खाते में जमा की जायेगी उस खाते में जमाराशि पर अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग/ वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्यो के सेन्टेज चार्ज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-23/दस-2011-17 (4) / 75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या- ए-2-1606/ दस-2014-17 (4)/ 75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार अवमुकत किये जा रहे राज्यांश से किया जायेगा। सेंन्टेज का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VI) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - 12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VII) राज्यांश की अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी डुप्लीकेसी न हो। आंकडों की शद्धता का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(VIII) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(IX) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

(X) वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश के शार्टफाल की अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के उपरान्त कोई देयता नहीं रह जाती है।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ -0101- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.ई-2-390/ दस-2018-दिनांक 25 मार्च, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 29 /2018/1098 (1)/अड़तीस-5-2018-2 बजट/2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
(7) महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी मण्डल, झांसी।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।